26/3/19 पत्रावली पेश (बहुलाल) (वकील वादी) प्रस्तुत प्रतिवादी सं० 2, 3 व 4 की प्रतीक्षार्थ (पत्रावली दिनांक 04/6/19 को पेश हो।

11/04/19 आज पत्रावली वादी या वकील वादी द्वारा प्रकरण विड्रॉ करने के बाबत कोर्ट फीस लौटाने के पत्र पेश हुई। प्रार्थी पत्र पर मुलाहिजा। डिक्री जारी की जाती है। अंकित पत्रावली होने वादी या वकील वादी की प्रार्थना पत्र के आधार पर अंकित वादिनी इकी लेखा ड्रॉप कर वादी के पक्ष में विड्रॉ करने दिया जाता है। कोर्ट फीस मुलाहिजा। अभिलेख कार्यालय पत्रावली जब्त फिल्म के बाद नष्ट हो। मुलाहिजा।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner